(10रु.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक : /2014 निग. 1825-III-14

रामकुमार पाठक पुत्र श्री वृन्दावन पाठक,
निवासी-- वार्ड क्रमांक--4, खोरा मोहल्ला, नरवर,
तहसील नरवर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

------आवेदक

बनाम

1. जगन्नाथ प्रसाद पाठक
2. राम किशन पाठक
3. कैलाश नारायण पाठक

पुत्रगण श्री वृन्दावन प्रसाद पाठक, समस्त जाति-- ब्राह्मण, निवासीगण-- ग्राम बहगवां, तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

------अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक 1825/तीन/2014 जिला शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.6.14	यह निगरानी नायब तहसीलदार, नरवर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 23/13-14 अ 27 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5-6-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने। उन्होंने बताया कि आवेदक एवं अनावेदकगण के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बहगवा तहसील नरवर मे स्थित है जिनका सहमति बटवारा होने से दिनांक 15-1-2013 को नोटरी से दस्तावेज संपादित किया गया और जब तहसील न्यायालय में बटवारे के अमल का प्रकरण चला, पारिवारिक बटवारा सदभावना के आधार पर आधारित होने से अमल में न लेने में गलती की गई है क्योंकि नोटरी से संपादित पारिवारिक बटवारे को साक्ष्यों के कथनो से प्रमाणित कराया जा सकता है। उन्होंने निगरानी ग्राहकर सुनवाई किये जाने की प्रार्थना की।

3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार करने एवं नायब तहसीलदार नरवर के आदेश दिनांक 5--6--14 के अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक कमांक 2 ने नायब तहसीलदार के समक्ष पारिवारिक बटवारा विलेख दिनांक 15-1-2013 पर आपत्ति की है एवं बताया है कि उसके बिना हस्ताक्षर करवाये लिखा-पढ़ी की गई है तथा बटवारा विलेख दिनांक 15-1-2013 को पढ़कर भी नहीं सुनाया है और इस पक्षकार की आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में न्यायदान की दृष्टि से नायब तहसीलदार ने पटवारी को मौके पर भेजकर उभय पक्ष की

उपस्थिति में फर्द बटवार तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। वैसे भी आवेदक एवं अनावेदक को फर्द तैयार होते समय एवं नायब तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान अपना-अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण नायब तहसीलदार नरबर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-6-14 में किसी प्रकार की विसंगति परिलक्षित नहीं है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य